७३०७ – नकल/प्रति आदेश दि० 26/11-07

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी भोगाँव

वाद सं० 01/2007-08 अन्तर्गत धारा 143जेड०ए०एल०आर० एक्ट

मौजा विछवाँ, परगना व तहसील भोगाँव, जिला मैनपुरी।

ऋषिराज इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक

राजकुमार ।

वनाम

गाँव सभा द्वारा प्रधान गाँव सभा मौजा विछवाँ

निर्णय

================

ऋषिराज इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन एण्ड सोसल वेलफेयरसोसाइटी ग्राम नगला नोकटा पोस्ट दखिनारा जनपद फिरोजाबाद प्रबन्धक राजकुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जे०ए०एल०आर० एक्ट में दिनांक 17-11-07 को प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि मौजा विछवाँ स्थित गाटा सं० 1044मि०/0.708 व 1044मि/0.709हे० पर प्रार्थी का नाम वतौर प्रबन्धक संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसका लगान 17.50 रु० अंकित है उक्त आराजी का उपयोग कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। आराजी में ऋषिराज इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन एण्ड सोसाइटी वेलफेयर की इमारत निर्मित किया जाना है। जिसकी बावत नीव आदि भरी जा रही है। उपरोक्त भूमि कृषि कार्य मुर्गी पालन व वागवानी के प्रयोग में नहीं लायी जा रहा है। लगान मुक्त कर आबादी भूमि घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र जाँच हेतु तहसीलदार भोगाँव को भेजा गया। जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम विछवाँ का गाटा सं० 1044मि०/0.709 व 1044मि/ – रकवा 0.708 खाता सं० 91 व 92 मालगुजारी 35.00 रु० लगभग दो वर्ष पूर्व से कृषि, वागवानी, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन, कुक्कुट पालन के प्रयोजन में नहीं आ रहा रहा। है उक्त भूमि को आबादी घोषित करने एवं मालगुजारी से मुक्त करने व श्रेणी 6(2) में अंकित करने हेतु संस्तुति करने की आख्या अंकित की गयी है। तहसीलदार भोगाँव द्वारा संस्तुति कर पत्रावली [illegible] उपलब्ध करायी गयी है। मेरे द्वारा पत्रावली का विधिवत अवलोकन व अनुशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक - 17-11-07 जो तहसीलदार द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित कर भेजी गयी है। उचित प्रतीत होती है। स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

आदेश

==========

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार आख्या दिनांक 20-11-07

क्रमशः : - 02 पर --

व दावा वादी दिनांक 7-11-07 स्वीकार किया जाता है। तहसील--दार की आख्या आदेश का अंग होगी। ग्राम पिठवाँ परगना भोगाँव स्थित खाता सं0 91 के गाटा सं0 1044मि./0.709 व खाता सं092 के गाटा सं0 1044मि/0.708 मालगुजारी 35.00 रु0 को लगान मुक्त कर श्रेणी 6(2) आबादी भूमि घोषित की जाती है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 20/11/07

Arvind 20/11/07

(अरविन्द कुमार मिश्र)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/
उपजिलाधिकारी, भोगाँव

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

5214

10-4-2013

349

13-00

13-5-13

अनुभाग प्रभारी 13/5/13
राजस्व अभिलेखागार

सुमन पाटकर